रजिस्ट्री सं डी (डी एन)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 6, 1991/माघ 17, 1912
No. 39] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 1991/MAGHA 17, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1991

फा. सं. 23021/2/91 सी. पी. डी.:— पेट्रोलियम, ईंधन तथा जलावन लकड़ी के उपभोग पर आए दबाव को कम किए जाने के लिए, विशेषकर वर्तमान खाड़ी युद्ध तथा इस युद्ध से पेट्रोलियम के उत्पादों की उपलब्धता पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए, भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग, कोयले के छोटे उपभोक्ताओं, की जिसमें विशेष धुंआरहित ईंधन संयंत्र, ब्रिकेटिंग यूनिटें तथा घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं, आसानी से और खुले रूप में कोयला उपलब्ध कराए जाने के उपायों पर विचार करता रहा है। यह बात स्पष्ट है कि उक्त लघु उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति कोयला कंपनियों द्वारा तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कोयले के स्टाकयार्डों से अधिक आसानी से की जा सकती है। अतः इन स्टाकयार्डों को कोयले की आपूर्ति किए जाने में अधिक प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इन उपभोक्ताओं को कोयले की उपयुक्त रूप में तथा समय पर आपूर्ति को सुनिश्चत किए जाने के लिए स्टाकयार्डों के लिए निम्नलिखित रूप में एक स्थाई संयोजन समिति को स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

1. अपर सचिव, कोयला विभाग, ऊर्जा मंत्रालय —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (कोयला उत्पादन एवं संवितरण), कोयला विभाग, ऊर्जा मंत्रालय —सदस्य
3. रेलवे बोर्ड का प्रतिनिधि —सदस्य
4. कोल इंडिया लि. का विपणन प्रमुख —सदस्य
5. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. का विपणन प्रमुख —सदस्य
6. नेयवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लि., का विपणन प्रमुख —सदस्य

7. महाप्रबंधक, बिक्री, कोल इंडिया लि., नई दिल्ली —सदस्य सचिव

II. इस समिति में 5 अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित किया जा सकता है। यह समिति अपनी बैठकों में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने के लिए आमंत्रित किए जाने का अनुरोध कर सकती है।

III. इस समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे:—

1. सरकार द्वारा निर्णीय नीति के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विद्यमान तथा नए कोयला स्टाकयार्डों को कोयले का संयोजन उपलब्ध कराना।

2. विशेष धुआंरहित ईंधन संयंत्रों तथा ब्रिकेटिंग यूनिटों के कोयले के संयोजन को स्टाकयार्डों के माध्यम से अथवा सीधे रूप में मानिटरिंग करना तथा उन्हें, यदि आवश्यक हो, तो संयोजन उपलब्ध कराए जाने के लिए इस कार्य को सीधे रूप में समय-समय पर अपने हाथ में लेना।

3. कोल इंडिया लि. तथा राज्य सरकारों के विद्यमान स्टाकयार्डों की मांग, आपूर्ति, बिक्री तथा सामान्य कार्य निष्पादन का मानिटरिंग किया जाना।

4. ऐसे स्टाकयार्डों, जोकि संविदा एजेंटों अभिकरणों को परिचालन के लिए प्रसंविदा किए गए हों कि शर्तों को, यदि आवश्यक हो तो, संशोधित करना तथा उनकी समीक्षा करना।

5. अधिक स्टाकयार्डों को स्थापित किए जाने के लिए नोडल स्थलों का चयन किया जाना।

6. रेल तथा परिवहन के अन्य साधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन करना और उक्त स्टाकयार्डों को कोयले के प्रेषण किए जाने के लिए परिवहन के साधनों के संबंध में निर्णय करना।

7. इससे संबंधित अन्य कोई मामला।

IV. इस समिति की बैठक प्रायः आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जाएगी, किन्तु तीन महीने में न्यूनतम एक बैठक का आयोजन किया जाएगा।

V. इस समिति द्वारा लिए गए निर्णय कोयला कंपनियों तथा क्रियान्वयन अभिकरणों पर बाध्य होंगे।

कमल कान्त मिश्र, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

RESOLUTION

New Delhi, the 6th February, 1991

F. No. 23021|2|91-CPD.—The Government of India in the Ministry of Energy, Department of Coal have been considering measures for easy and free availability of coal to small users including special smokeless fuel plants, briquetting units and households, in order to reduce pressure on consumption of petroleum fuel and firewood specially in the present context of Gulf war and its impact on availability of petroleum products. It is evident that supplies to these small users can be made more easily through coal stockyards being run by coal companies and State Govts. Supplies to these stockyards will therefore have to be made on a very high priority. To ensure adequate and timely supply of coal to these users it has been decided to set up a Standing Linkage Committee for stockyards with the following composition.

1. Additional Secretary. Deptt. of Coal, Ministry of Energy —Chairman
2. Joint Secretary (Coal Production & Distribution), Deptt. of Coal, Ministry of Energy. —Member
3. Representative of Railway Board. —Member
4. Chief of Marketing. Coal India Limited —Member
5. Chief of Marketing, Singareni Collieries Company Limited. —Member
6. Chief of Marketing, Neyveli Lignite Corporation Limited. —Member
7. General Manager, Sales, Coal India Limited, New Delhi. —Member Secretary

II. The Committee may co-opt not more than five additional members. It may request representatives from State Govts. to attend its meetings as invitees.

III. The terms of reference of the Committee shall be as under :

1. To provide coal linkage to the existing as well as new coal stockyards within the policy framework decided by the Govt.
2. To monitor coal linkage to Special Smokeless Fuel plants and Briquetting units whether directly or through stockyards and

from time to time directly takeover this function of providing linkage to them if considered necessary.

3. To monitor the demand, supply, sales and general performance of the existing stockyards of Coal India Ltd. and State Govts.

4. To review and if necessary revise the terms and conditions under which the operations of the stockyards are covenanted to the contracted agents|agencies.

5. To select the nodal points for setting up of more stockyards.

6. To assess the availability of rail and modes of transport and decide upon the mode for despatch of coal to the stockyards.

7. Any other related matter.

IV. The committee shall meet as frequently as necessary but as least once in three months.

V. The decisions taken by the committee shall be binding on the coal companies and implementing agencies.

K. K. MISRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991